कच्चा तेल 100 डॉलर के पार

अमेरिका-ईरान तनाव से वैश्विक ऊर्जा बाजार में उथल-पुथल

होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बढ़ते टकराव से सप्लाई बाधित

नई दिल्ली, 13 अप्रैल वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया और यह एक बार फिर 100 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गया.

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में यह तेजी अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव, वार्ता के विफल होने और होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर उत्पन्न गंभीर अनिश्चितता के कारण देखी गई है. ब्रेंट कच्चा तेल की कीमत करीब 7.98 प्रतिशत की बढ़त के साथ 102.80 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई, जबकि पश्चिम टेक्सास मध्यवर्ती कच्चा तेल 8.61 प्रतिशत की तेजी के साथ 104.88 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करता दिखा. दोनों बेंचमार्क में यह उछाल दर्शाता है कि वैश्विक निवेशक कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं और बाजार में जोखिम प्रीमियम तेजी से बढ़ गया है.

इस तेजी की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच हालिया वार्ता का विफल होना है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव और अधिक गहरा गया है. स्थिति तब और गंभीर हो गई जब रिपोर्ट्स में यह संकेत मिला कि अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य पर नाकाबंदी या सख्त नियंत्रण जैसे कदमों पर विचार कर सकता है.

अमेरिका-ईरान के बीच तनाव

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से सोमवार को घरेलू शेयर बाजारों में बिकवाली लौट आयी और प्रमुख सूचकांक करीब एक प्रतिशत की गिरावट में बंद हुए . बीएसई का सेंसेक्स 702 .68 अंक (0 .91 प्रतिशत) गिरकर 76,847 .57 अंक पर आ गया . नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 207 .95 अंक यानी 0 .86 फीसदी नीचे 23,842 .65 अंक पर रहा . अमेरिका और ईरान के बीच हार्मुज जलडमरूमध्य को लेकर तनाव बढ़ गया है . अमेरिका ने इस महत्वपूर्ण व्यापारिक जलमार्ग की घेराबंदी और अपनी शर्तों पर जहाजों को निकलने की अनुमति देने की घोषणा की है . इससे निवेशकों में ईरान युद्ध के स्थायी समाधान को लेकर निराशा बढ़ी है . मझौली और छोटी कंपनियों में भी बिकवाली का जोर देखा गया . निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0 .77 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0 .46 प्रतिशत गिर गया . सभी सेक्टरों में बिकवाली हावी रही . ऑटो सेक्टर पर सबसे ज्यादा दबाव देखा गया और उसका सूचकांक दो प्रतिशत से अधिक टूट गया .

ड्रोन तकनीक में भारत-यूके का बड़ा कदम

नई दिल्ली 13 अप्रैल भारत में उन्नत एयरोस्पेस तकनीक के विकास को नई गति देते हुए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड (टीडीबी) ने 'बूस्ट इलेक्ट्रिक जंप टेक-ऑफ' परियोजना को मंजूरी प्रदान की है।

जंप टेक-ऑफ तकनीक विकसित

एयरोस्पेस इकोसिस्टम को मजबूती

यह महत्वाकांक्षी परियोजना भारत-यूके सहयोगात्मक अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय कंपनी केसी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड और ब्रिटेन की एआरसी एयरोसिस्टम्स लिमिटेड के बीच साझेदारी में लागू की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य हाइब्रिड प्रणोदन आधारित उन्नत टेक-ऑफ प्रणाली विकसित करना है, जो मानव रहित हवाई वाहनों और हल्के विमान प्लेटफॉर्म की परिचालन क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सके।

यह परियोजना विशेष रूप से 'जंप टेक-ऑफ' तकनीक पर केंद्रित है, जो पारंपरिक रनवे की आवश्यकता को कम करते हुए छोटे या सीमित स्थानों से उड़ान भरने की क्षमता प्रदान करती है। प्रस्तावित प्रणाली में हाइब्रिड प्रणोदन तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिसमें पारंपरिक ईंधन और इलेक्ट्रिक ऊर्जा दोनों का संयोजन होगा। इससे विमान को न केवल अधिक दक्षता मिलेगी, बल्कि ऊर्जा खपत भी कम होगी और पर्यावरणीय प्रभाव में कमी आएगी।

> परियोजना के तहत रोटरक्राफ्ट प्रणोदन प्रणालियों के परीक्षण और सत्यापन के लिए एक अत्याधुनिक टेस्ट बेंच सुविधा स्थापित की जाएगी। यह सुविधा उत्तर भारत में अपनी तरह की पहली होगी और देश के एयरोस्पेस सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है। इस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से स्टार्टअप्स, शोध संस्थानों और एयरोस्पेस डेवलपर्स को अपने उत्पादों के परीक्षण और प्रमाणीकरण के लिए विश्वस्तरीय मंच उपलब्ध होगा।

व्यवहार प्रबंधन : पूंजी निर्माण की लुप्त हो चुकी कड़ी

निवेश करते समय जोखिम उठाने की क्षमता, समय सीमाएँ, निवेश प्रबंधक की गुणवत्ता और परिसंपत्ति आवंटन जैसे कारकों का ध्यान रखा जाना चाहिए और इनके अनुरूप ही निवेश किया जाना चाहिए, यह हम सब समझते हैं.

इन कारकों के अलावा धैर्य और व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों और भावनाओं के नियंत्रण की क्षमता भी उतने ही महत्वपूर्ण कारक हैं, जिन्हें अक्सर कम आँका जाता है.

सही निवेश सिद्धांतों का पालन करने के बावजूद, कई बार पोर्ट्फोलियो पर उचित परिणाम दिखाई नहीं देते जिसका कारण गलत निवेश न होकर हमारा व्यवहार होता है. इसे व्यावहारिक वित्त नामक विषय के माध्यम से बेहतर तरीके से समझा जा सकता है. परंतु इस व्यवहार के कारण निवेशक जो गलती करते हैं, वो यह है कि वे दूसरों को देखकर निर्णय लेते हैं, खासतौर पर तब, जब वह कई लोगों को संपत्ति विशेष से फायदा लेते हुए देखते हैं.

आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं: मान लीजिए 2011 में एक निवेशक ने एक रियल एस्टेट

आशीष मालविया
प्रमुख (डिस्ट्रिब्यूशन), वेल्थ मैनेजमेंट, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज

संपत्ति खरीदी. उसका यह निर्णय तर्कपूर्ण था:

- उसके द्वारा ऐसी संपत्ति में पहले किए गए निवेश से उसे छः वर्षों में 2.5 गुना प्रतिफल प्राप्त हुआ था. उसके कई दूसरे दोस्त ऐसी ही विभिन्न संपत्तियों के माध्यम से लाभ प्राप्त कर रहे थे.
- जोखिम की प्रवृत्ति रियल एस्टेट के अनुरूप दीर्घकालिक थी.
- एक वर्ष में, संपत्ति पर प्रतिफल 30% बढ़ गया.
- दो वर्षों में, यह 50% तक बढ़ गया.

निवेशक को अपना निर्णय सभी तरह से ठीक लग रहा था और उसे इस पर गर्व भी था. हालाँकि, अगले सात वर्षों के दौरान कीमतें 50% के आसपास स्थिर रहीं. इस अवधि में, इक्विटी बाज़ार बहुत मज़बूत प्रदर्शन कर रहे थे जिससे तरलता और प्रतिफल अधिक प्रतीत हो रहे थे. इसी दौरान निवेशक को बिल्डर की ओर से देरी और कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिससे वह असहज हो गया. रियल एस्टेट के लिए बाज़ार में कुछ नकारात्मकता भी बढ़ी. इन सबके कारण निवेशक ने 30% के फायदे पर अपनी उस संपत्ति को बेच दिया.

कुछ वर्षों बाद, उसी संपत्ति पर 15 वर्षों की अवधि में लगभग 12 गुना का लाभ हो गया.

हुडको-एनबीसीसी एमओयू से पुनर्विकास को बढ़ावा

नई दिल्र्ली, 13 अप्रैल संजय कुलश्रेष्ठ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हुडको और डॉ. के. पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की गरिमामयी उपस्थिति में दिनांक 11 अप्रैल 2026 को दो समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए.

समझौता ज्ञापनों को राधा रॉय, कार्यपालक निदेशक, हडको; भूषण कुमार, कार्यपालक निदेशक (व्यापार प्रसार), हुडको और प्रदीप शर्मा, कार्यपालक निदेशक (व्यापार प्रसार), एनबीसीसी द्वारा निष्पादित किया गया. इस अवसर पर दोनों संगठनों के प्रकार्यात्मक निदेशकगण और वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित रहे.

पारस्परिक रूप से सहमत निबंधन और शर्तों पर एनबीसीसी के स्व-संधारणीय मॉडल की चल रही और आगामी परियोजनाओं के लिए ब्लॉक नंबर 25, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में लीजहोल्ड प्लॉट के पुनर्विकास और हडको द्वारा धन उपलब्ध कराने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए.

इससे एनबीसीसी की स्व-संधारणीय मॉडल पर पुनर्विकास परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि निधि उचित निबंधन और शर्तों पर प्राप्त की जाएगी. इससे न केवल परियोजनाओं को आरंभ करने में तेजी आएगी, बल्कि मूल्यवान सेवार्थियों के लिए प्रॉफिट मार्जिन) में भी वृद्धि होगी.

उम्मीद है कि इस साझेदारी से परियोजना निष्पादन में तेजी आएगी, परिसंपत्ति मूल्य संवर्धित होगा और शहरी अवसंरचना के विकास में योगदान मिलेगा.

सोना-चांदी की कीमतों में 2 प्रतिशत की गिरावट

नई दिल्ली, 13 अप्रैल वैश्विक बाजारों में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच सोमवार को कीमती धातुओं—सोना और चांदी—की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. अमेरिका द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य में नाकाबंदी की घोषणा के बाद निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई, जिससे सोना और चांदी दोनों में लगभग 2 प्रतिशत तक की कमजोरी देखने को मिली.

भारत डेटा सेंटर बाजार 2030 में होगा दोगुना

एआई निवेश और सरकारी प्रोत्साहनों से भारत बनेगा एशिया का प्रमुख डेटा हब

नई दिल्ली, 13 अप्रैल भारत का डेटा सेंटर बाजार आने वाले वर्षों में तेज गति से विस्तार करने की ओर बढ़ रहा है. वेस्टियन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, यह क्षेत्र वर्ष 2030 तक दोगुना से अधिक बढ़कर लगभग 22 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, जबकि वर्ष 2025 में इसका आकार करीब 10 अरब डॉलर आंका गया है.

मजबूत डिजिटल मांग, बढ़ते इंटरनेट उपयोगकर्ता और वैश्विक कंपनियों के निवेश के चलते भारत तेजी से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख डेटा सेंटर हब के रूप में उभर रहा है.

रिपोर्ट के अनुसार, देश में डेटा सेंटर क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है. लगभग 30 अरब डॉलर के अनुमानित निवेश के साथ भारत की क्षमता वर्ष 2026 के अंत तक 1.7 से 2.0 गीगावॉट तक पहुंच सकती है, जो वर्ष 2030 तक बढ़कर 4 से 5 गीगावॉट तक हो सकती है. यह विस्तार मुख्य रूप से क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सेवाओं की बढ़ती मांग से प्रेरित है.

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में तेजी और हाइपरस्केलर कंपनियों की बढ़ती भागीदारी इस क्षेत्र के विकास को नई गति दे रही है.

देश में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग की मांग में भी भारी उछाल देखा जा रहा है. वेस्टियन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीनिवास राव ने कहा कि मजबूत नीतिगत समर्थन और डिजिटल मांग में वृद्धि के कारण भारत का डेटा सेंटर क्षेत्र तेजी से बदल रहा है. उन्होंने कहा कि वैश्विक क्षमता में भारत की हिस्सेदारी अभी सीमित है, लेकिन भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में देश की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है.

नम्बर 4 — सूचना/प्रकाशन हेतु

न्यायालय ऋण वसूली अधिकरण जबलपुर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

द्वितीय एवं तृतीय मंजिल भारत संचार निगम लिमिटेड बिल्डिंग, प्रधान डाकघर के पास, सिविल लाइंस, जबलपुर म.प्र. 482001.

(ऋण वसूली अधिकरण अधिनियम 1993 (प्रक्रिया) की धारा 19 की उपधारा 4 के तहत नियम 5 के उपनियम 2ए के साथ पढ़ा जाए)

मूल आवेदन संख्या-1475/2024

एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. — **आवेदक**

विरुद्ध

अर्जुन नारायण सिंह एवं अन्य — **अनावेदकगण**

प्रति,

1: अर्जुन नारायण सिंह आत्मज श्री नारायण सिंह
निवासी- 26 खिलाचीपुर सुरसा उज्जैन जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश 456006

2: सुरेश बागड़ी, आत्मज श्री नारायण बागडी
निवासी- 22 आगर रोड भारथारी नगर आई.टी.टी. भट्टा सुरसा, उज्जैन जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश 456001

जबकि ओ.ए. संख्या 1475 / 2024 को माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष दिनांक **03 / 01 / 2025** को सूचीबद्ध किया गया था।

जबकि माननीय न्यायाधिकरण को उक्त आवेदन पर अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 4 के तहत समन / सूचना पत्र जारी किया जा रहा है। यह ओ.ए. आपके विरुद्ध मात्र **22,76,397.41 /- रूपये** की ऋण वसूली के लिए दायर किया गया है।

अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 4 के अनुसार, आप अनावेदकों को निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं कि:

1. समन की तामील होने के 30 दिनों के भीतर कारण बताएं कि मांगी गई राहत क्यों नहीं दी जानी चाहिए।
2. मूल आवेदन के क्रमांक 3ए में निर्दिष्ट संपत्तियों और परिसंपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियों या परिसंपत्तियों का विवरण प्रकट करें।
3. संपत्तियों की कुर्की के आवेदन की सुनवाई और निपटारे तक, आपको मूल आवेदन के क्रमांक 3 में प्रकट की गई सुरक्षित परिसंपत्तियों और संपत्तियों से संबंधित किसी भी प्रकार का लेनदेन करने या उनका निपटान करने से प्रतिबंधित किया जाता है।
4. आप अधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बिना सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया के अलावा बिक्री पट्टे या किसी अन्य माध्यम से उन परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं करेंगे जिन पर सुरक्षा हित सृजित है और / या मूल आवेदन के क्रमांक 3ए में निर्दिष्ट या प्रकट की गई अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
5. आप सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों और संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त विक्रय राशि का हिसाब देने के लिए उत्तरदायी होंगे और ऐसे विक्रय राशि को उन परिसंपत्तियों पर सुरक्षा हित रखने वाले बैंक में रखे गए खाते में जमा करेंगे।
6. आप आवेदक को दी गई आवेदन की प्रति सहित लिखित बयान दाखिल करने और **24/06/2026** को सुबह 10:30 बजे जबलपुर स्थित माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है, अन्यथा आवेदन पर आपकी अनुपस्थिति में एक पक्षीय सुनवाई कर निर्णय दिया जाएगा।

इस न्यायाधिकरण के हस्ताक्षर और मुहर के तहत दिनांक **17 / मार्च / 2026** को जारी किया गया।

रजिस्ट्रार
ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर म.प्र.

कार्यालय नगर पालिका परिषद मन्दसौर (म. प्र.)

दूरभाष - कार्यालय - 405964 फेक्स - 244246 (e-mail : cmomandsaur@mpurban.gov.in)

क्रमांक / 1292/ निर्माण शाखा / 2026 — मन्दसौर, दिनांक 10/04/2026

:: द्वितीय ई-टेण्डरिंग निविदा आमंत्रण सूचना ::

समस्त निर्माता/विक्रयकर्ता को सूचित किया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू विधि महाविद्यालय में कम्प्यूटर लेब हेतु डेस्कटॉप कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सामग्री लेब में उपयोग आने वाली आवश्यकतानुसार क्रय किये जाने के लिये उक्त कार्य की फार्म-सी पर ई-टेंडरिंग के माध्यम से दरे आनलाईन आमंत्रित की जाती है जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	ऑनलाईन निविदा क्र.	कार्य का विवरण	अनुमानित व्यय	अमानत	निविदा प्रपत्र का मुल्य
01	2026_UAD _487867/2	कम्प्यूटर लेब हेतु डेस्कटॉप कम्पुटर Dell/ Lenovo/ HP कंपनी तथा कम्पुटर सामग्री (प्राक्कलन अनुसार) कम्पनीट installation कार्य सहित	61 लाख (जीएसटी सहित)	45750.00	2000/-

उपरोक्त कार्य हेतु निविदा प्रपत्र फार्म-सी पर आमंत्रित किया जाना है जिसस विस्तृत विवरण वेबसाईट http://mptender gov in पर देखा जा सकता है उक्त प्रपत्र क्रय करने एवं प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 04/05/2026 एवं समय

आवश्यक शर्तेः 1. निविदा संबंधित आवश्यक जानकारी कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है। 2. निविदा स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा। 3. सशर्त निविदा मान्य नही की जावेगी। 4. कंपनी के अधिकृत विक्रेता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । 5. ऑन लाईन दरे समस्त कर एवं installation सहित देना होगी software company loaded देना होगा 6. लेब हेतु क्रय होने वाली सामग्री में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है। 7. सामग्री सप्लाय के साथ निर्माता कंपनी द्वारा जारी गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । 8. सप्लाय किये कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सामग्री का संचालन संधारण एक वर्ष का रहेगा । 9. सप्लाय की गई सामग्री की गारंटी दो वर्ष की देना होगी। कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सामग्री खराब होने पर नवीन बदली जाना अनिवार्य होगा। 10. देयक में से 10% राशि SD के रूप में रोकी जावेगी । जो कि गारन्टी पिरियड समाप्त होने के पश्चात देय होगी। 11. निविदा में यदि कोई संशोधन होता है, तो वह केवल वेबसाइट पर ही प्रदर्शित होगा उसके लिये पृथक से कोई विज्ञापन समाचार पत्रो में जारी नहीं किया जावेगा । 12. संबंधित फर्म को पेनकार्ड, आयकर विवरणी 3 वर्ष, जीएसटी, दुकान संस्थान का जीवीत पंजीयन, आधार कार्ड की प्रति, बैंक खाता की जानकारी सलग्न करना होगा । 13. दरे वित्तिय वर्ष के लिये मान्य रहेगी । 14. न्याय क्षेत्र मन्दसौर रहेगा ।

नोट :- समस्त निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वह अंतिम दिवस की प्रतिक्षा न कर निर्धारित समय सारणी अनुसार निविदा की ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण कर किसी प्रकार की असुविधा से बचे ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद मंदसौर

न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (डा. रिकेश कुमार वैश्य), जिला इंदौर (म.प्र.)

(प्रशासनिक संकुल कक्ष क्र.-जी 11)

क्रमांक/1433/अकरी/2026 — इंदौर, दिनांक 31/03/2026

प्रकरण क्र./0603/ब-121/2025-26

पेपर विज्ञप्ति

प्रति,

1. **श्री निलेश दुबे आत्मज श्री बलराम दुबे,**
पता 1- मकान नं. 201, इंद्र नगर, पाथाखेडा, बैतुल (मध्य प्रदेश)- 460449
पता 2- मकान नं. B-96, छत्र छाया कॉलोनी पीथमपुर, जिला धार, आटा चक्की, (म.प्र.) 454775
पता 3- प्लाट नं. 94, छत्र छाया कॉलोनी पीथमपुर, जिला धार खसरा नं. 320 / 321 सेक्टर-1, पीथमपुर (मध्य प्रदेश)- 454775
पता 4- B-476 लुणावत कोसमोस कॉलोनी महू, इंदौर- बराथे आटा चक्की, 453441
पता 5- श्री तिरुपति बालाजी FIBC LTD, प्लाट नं. AP 14S सेज फेस-2, इंडस्ट्रियल धार

2. **श्रीमती लीला दुबे पति श्री बलराम दुबे**
पता 1- मकान नं. B-96, छत्र छाया कॉलोनी पीथमपुर, जिला धार, आटा चक्की, (म.प्र.)
पता 2- अग्रवाल कॉलोनी पीथमपुर, जिला धार आटा चक्की के पास, 454775
पता 3- B-476 लुणावत कोसमोस कॉलोनी महू, इंदौर - वराथे आटा चक्की, 453441

3. **श्री आशीष दुबे आत्मज श्री बलराम दुबे**
पता 1- मकान नं. 201, वार्ड नं. 20, इंद्र नगर, पाथाखेडा, बैतुल (मध्य प्रदेश)- 460449
पता 2- मकान नं. B-96, छत्र छाया कॉलोनी पीथमपुर, जिला धार, आटा चक्की, (म.प्र.)
पता 3- प्लाट नं. 94, छत्र छाया कॉलोनी पीथमपुर, जिला धार खसरा नं. 320/321 सेक्टर-1, पीथमपुर (मध्य प्रदेश)- 454775
पता 4- B- 476 लुणावत कोसमोस कॉलोनी महू, इंदौर- वराथे आटा चक्की, 453441

द्वारा :- पेपर प्रकाशन।

प्राधिकृत अधिकारी यस बैंक लिमिटेड रजिस्टर्ड कार्यालय :- यस बैंक हाउस, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सांता क्रूज ईस्ट मुंबई - 400055, शाखा कार्यालय :- वार्ड नं 08, आर एम टावर, नगर निगम नं .269, गोराकुंज चौराहा, महात्मा गांधी रोड, राजवाडा के पास इंदौर द्वारा निवेदन किया गया है कि बंधक संपत्ति ग्राम भाटखेड़ी आवासीय योजना लूणावत कोसमोस सेक्टर-डी का भूखंड क्रमांक डी-476 पैकी भाग (प्राइवेट भाग क्रमांक डी. 476 (बी) तहसील महू जिला इंदौर म.प्र. पर बकाया ऋण राशि का चुकारा आपके द्वारा नहीं किया गया और न ही प्रतिभूमि संपत्ति का कब्जा ही सौंपा गया है। अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं प्रतिभूतहित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 14 में प्रतिभूमि के रूप में रखी संपत्ति का कब्जा दिलाया जावे।

अतः इस संबंध में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मामले की सुनवाई हेतु न्यायालय अपर कलेक्टर जिला इंदौर **कक्ष क्रमांक जी-11 में दिनांक 15/04/2026 को दोपहर 03:00 बजे** होगी। आप प्रकरण के संबंध में समस्त दस्तावेज व साक्ष्य सहित उपस्थित रहें। आपकी अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला इंदौर (म.प्र.)

अपने व्यापार को दें नई ऊंचाइयां 'नवभारत' में विज्ञापन के माध्यम से

पश्चिम रेलवे - रतलाम मण्डल

ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से तथा उनके लिए वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजी. (डीजल) पश्चिम रेलवे, रतलाम-457001 द्वारा ई-टेण्डर के माध्यम से वेबसाइड **www.ireps.gov.in** पर खुली निविदाएं आमंत्रित की जाती है। उक्त का विवरण निम्नानुसार है- **ई-निविदा क्रं.: M-DL-EL91-700234-R1 कार्य का नाम:** Annual Annual Maintenance Contract for Electric Loco Cab Air Conditioners at Locomotive Care Centre, Ratlam for the period of 01 Years. **कार्य की अनुमानित लागत: ₹48,50,944.66** (रु. अड़तालीस लाख पचास हजार नौ सौ चौवालीस एवं छियासठ पैसे) (सभी करों के साथ) **बयाना राशी: ₹ 97,000/-** (रु. सत्तानबे हजार मात्र) **निविदा प्रपत्र का मूल्य:** निशुल्क **कार्य की अवधि:** 36 माह **आफर की वैधता:** 60 दिन **ई-निविदा दस्तावेज़ जमा करने की तिथि एवं समय:** 02.05.2026 11:00 बजे तक **निविदा खोलने की तिथि:** 02.05.2026 11:30 बजे। यह टेंडर वेबसाइट **https://www.ireps.gov.in** पर देखा जा सकता है। निविदाकार के पास डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र होना चाहिये साथ ही निविदाकार का IREPS पोर्टल पर पंजीकृत अनिवार्य है। उक्त ई-टेण्डर की प्रक्रिया में केवल पंजीकृत निविदाकार ही भाग ले सकते है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेते समय निविदा से संबंधित सभी दस्तावेज एवं आवश्यक जानकारी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। **V/539**

हमें लाईक करें:: facebook.com/WesternRly

यूको बैंक UCO BANK
(A Government of India Undertaking)

आंचलिक कार्यालय, 380-381, साकेत नगर, इंदौर (म.प्र.)
फोन: 0731-2438331
email: zoindore.rec@uco.bank.in

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी सूचना
ई-नीलामी दिनांक 30.04.2026

(सरफेसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत)
सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल इंटरेस्ट एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट नियम 2002 के अन्तर्गत
सम्पत्ति के विक्रय की सार्वजनिक सूचना ईएमडी एवं दस्तावेज जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 30.04.2026 को दोपहर 1 बजे तक या उसके पूर्व अचल सम्पत्ति की बिक्री जो बैंक के पास बंधक है
सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल इंटरेस्ट एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट नियम 2002

जबकि **यूको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी** द्वारा धारा 13 (2) व सिक्युरिटायजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल इंटरेस्ट एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट नियम 2002 के अन्तर्गत सांकेतिक/भौतिक कब्जा ले लिया है। बैंक कि बकाया राशि ब्याज सहित हेतु निम्न सम्पत्तियों को **जहाँ है जैसी है, जैसी है वैसी है, जो कुछ भी है, बिना संसाधन** के आधार पर विक्रय करने का निर्णय लिया गया है। ऋणी द्वारा बैंक का बकाया मय ब्याज के चूकाने मे असफल होने के कारण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सरफेसी अधिनियम 13 (4) के अन्तर्गत सम्पत्ति की ई-नीलामी वेबसाइट द्वारा की जानी है।

क्रं.	शाखा	ऋणियों के नाम	ऋणी के खाते में बकाया राशि (₹)	सूचना दिनांक एवं आधिपत्य दिनांक	स्वायत शासी संस्थाओं का बकाया	संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य यथा / बयाना राशि	ईएमडी खाता क्रं., शाखा एवं आईएफएससी कोड क्रं.	ई-नीलामी की दिनांक एवं समय
1.	संयोगितागंज शाखा, इन्दौर	मेसर्स सैश मेटल प्रो.: श्री मोहित यादव	35,44,714.80 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	01.02.25 / 17.05.25	पता नहीं	औद्योगिक संपत्ति का हिस्सा जिसका सर्वे क्रमांक 155है, जिसका भूमि **क्षेत्रफल 1858.05 वर्गमीटर** है और जो **सैश मेटल, प्रो. श्री मोहित यादव** के नाम पर है, जो गांव निमरानी, तहसील कसरावद, जिला खरगोन मध्यप्रदेश में स्थित है। **चर्तु:सीमा: उत्तर:** औद्योगिक क्षेत्र रोड, **दक्षिण:** विभाग की भूमि, **पूर्व:** मेसर्स खालसा रबर इंडस्ट्रीज, **पश्चिम:** विभाग पथ	रु. 62.96 लाख / रु. 6,29,600	22830210001462 आनंद बाजार, इंदौर UCBA0002283	30.04.2026 1.00 से 5.00 बजे तक (असीमित विस्तार के साथ उपरोक्तानुसार)

आनलाईन निविदा/नीलामी की नियम व शर्तें: (1) बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट **https://baanknet.com** देखें (बोली जमा करने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए और ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए भी)। **(2)** इच्छुक बोलीदाता के पास एक स्वयं की वैध सक्रिय ई-मेल आईडी और पैन होना चाहिए। **(3)** अपसेट प्राईस/रिजर्व प्राईस की 10% (ईएमडी राशि) राशि सर्विस प्रोवाइडर द्वारा बनाये गये वर्चुअल वॉलेट में भेजी जाना चाहिये और बकाया राशि निविदा फार्म मे स्पष्ट रुप से दर्शाई जाना चाहिए। **(4)** अधोहस्ताक्षरी के पास पूर्ण अधिकार है की वह बिना किसी पूर्व सूचना के एवं बिना कोई कारण बताएं किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या स्थगित/रद्द करने का बिक्री की किसी भी नियम व शर्तो को बढ़ाने/संशोधित करने का अधिकार है। **(5)** बिक्री सरफेसी संशोधित अधिनियम/नियम 2002 और शर्तों में निर्धारित शर्तों के अधीन है। **(6)** बैंक द्वारा निविदा प्रस्ताव स्वीकार्य करने के उपरांत 25% प्रतिशत राशि (प्राथमिक राशि ईमएडी सहित) उसी दिन या अगले कार्यदिवस तक बैंक के **खाता संख्या 22830210001462, यूको बैंक, आनंद बाज़ार शाखा, आईएफएससी कोड UCBA0002283** के खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी/मनी ट्रांन्सफर द्वारा जमा करनी होगी। **(7)** सफल बोलीकर्ता को अपने पक्ष में बिक्री की पुष्टि होने के 15 दिनो के भीतर बिड की बकाया राशि जमा कराना होगी यदि सफल बोलीकर्ता अपनी बकाया राशि उस अवधि के भीतर जमा करने में विफल होता है तो उस परिस्थिति में सम्पत्ति का पून: विक्रय किया जावेगा। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा कि गई राशि जब्त कर ली जावेगी। इसके अतिरिक्त उसे सम्पत्ति पर या उस सम्पत्ति पर दावा करने का कोई अधिकार नही होगा जिसे फिर से बेची गई है। **(8)** सम्पत्ति का निरीक्षण पूर्व अनुमति लेकर **दिनांक 28.04.2026 को प्रात: 10.00 बजे से सांयकाल 4.00 बजे** के बीच किया जा सकता है। सम्पत्ति सम्बन्धी अन्य जानकारी या विवरण के लिए **प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक, आंचलिक कार्यालय, इन्दौर, फोन नं.: 0731-2438331** से संपर्क किया जा सकता है। **(9)** यदि बिक्री 30 (तीस) दीनों की अवधि के लिये स्थगित की जाती है तो बिक्री की कोई नई शर्तें नहीं होगी। **(10)** बोलीकर्ता को नीलामी में भाग लेने के पूर्व सेवा प्रदाता के पोर्टल/वेबसाइट (अर्थात, **https://baanknet.com**) पर जाने की सलाह दी जाती है। नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व सभी बोलीकर्ताओं को बिक्री के नियम व शर्तों को ठीक तरह से पढ़ने व समझने की सलाह दी जाती है। नीलामी सुरक्षित लेनदार बैंक की पुष्टि के अधिन है। विवाद की स्थिति में अंग्रेजी शब्द में लिखित अखबार को मान्य किया जायेगा।

स्थान : इन्दौर, दिनांक : 14.04.2026 — **प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक**